केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/111 दिनांक: 10.05.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00102
CICOM/R/2018/00399

अपीलकर्ता : श्री राज कुमार राम, पुत्र – श्री काशीनाथ राम,
क्वार्टर नं. एल/170 (बी),
रेलवे हास्पीटल कानपुर, अनवरगंज के बगल में,
जिला – कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208003.

निर्णय की तारीख : 10.05.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	10.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	18.04.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री ए. के. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.04.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	180/01.05.2018 (126955/27.04.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.04.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से पांच बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील दाखिल की गई है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील आवेदन का अलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा में दिनांक 18.04.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00399 के माध्यम से बिंदुवार सूचना प्रदान की गई है । श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के बिंदु सं. 3 एवं 4 के संदर्भ में प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है । आवेदन का बिंदु सं. 1 एवं 2 चूंकि राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभाग में दाखिल किए गए आर.टी.आई. आवेदन से संबंधित है, अत: अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि वे इस संबंध में संबंधित राज्य सूचना आयोग में संपर्क करें । आवेदन के बिंदु सं. 5 के संदर्भ में अपीलकर्ता को सलाह दी जाती है कि प्रसाशनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा जारी "रिकार्ड रिटेन्शन शिड्यूल" जो कि वेबसाईट की लिंक https://darpg.gov.in/sites/default/files/RRS_WC.pdf पर उपलब्ध है के पृष्ठ सं. 69 का अवलोकन करें । अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु उक्त वेबसाईट से ली गई पृष्ठ सं. 69 की प्रिंट प्रति भी इस आदेश के साथ संलग्न है ।

3. अपीलकर्ता ने प्रथम अपील आवेदन के माध्यम से प्रदान की गई सूचना में वांछित सूचना वेबसाईट में उपलब्ध होने का उल्लेख किए जाने पर भी आपत्ति व्यक्त की है । इस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है कि वेबसाईट पर जानकारी अपलोड करने और सूचना अधिकार अधिनियम दोनों का ही उद्देश्य है – आम नागरिक तक सूचना पहुँचाना ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक – यथोपरि ।

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
11 MAY 2018
D. No.......
Initials.......

O/C

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

11/5/18